

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

०१/८०१८
१२७
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक ०२.०४.२०१६

M.J.

P.C.S.
०५८८

क्र. एफ १६-१७/२०१५/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड का बीना, जिला सागर में थर्मल पावर प्लांट की परियोजना में व्यावसायिक उत्पादन की समयावधि में वृद्धि सम्बंधी अभ्यावेदन पर ताप विद्युत संयंत्रों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने सम्बंधी शासन के निर्णय की प्रभावशील अवधि दिनांक ३१/३/२०११ होने के दृष्टिगत कम्पनी की परियोजनान्तर्गत प्रथम इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि में ३१ अगस्त, २०१२ तथा द्वितीय इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि में ३० अप्रैल, २०१३ तक वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

०२.०४.१६
(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक ०२-०४.२०१६

क्रमांक एफ १६-२५/२०१५/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि,

१. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
२. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
३. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
४. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
५. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बीना जिला सागर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०२-०४.१६
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग